



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

गरियाबन्द वन मण्डल – गरियाबन्द, जिला – गरियाबन्द (छ.ग.)

Phone No. (office)- 07706 296350

E-mail- dfogariaband.@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./भू-प्र./22-23/129

गरियाबन्द, दिनांक 18/01/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha. पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/155724/2022

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-939A/1866 रायपुर, दिनांक 05/08/2022
2. असिसटेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर(छ.ग.) का पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/गरियाबंद/2022, दिनांक 26/12/2022

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-01 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्य Laying of the OFC along with Ro (Road Corridor) Under Networking strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Gariyaband District of Chhattisgarh वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव रकबा 2.921 हे. जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/155724/2022 आबंटित है।

संदर्भित पत्र क्रमांक-02 के द्वारा आवेदक संस्था प्रकरण में वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव (21 बिन्दुओं का) 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। अवलोकन उपरांत 04 प्रतियों में प्रस्ताव आपकी ओर प्रथम चरण स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित की जा रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.
	GOI (MoEF) से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मॉग पत्र – जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर ने गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत कुल रकबा 2.921 हे. वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मॉग की गई है।	01
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति – प्रस्ताव का ऑन-लाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/155724/2022 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि रुपये – 35000.00 जमा किया गया है।	2-11
3	वन क्षेत्र विवरण – आवेदित रकबा – 2.921 हे. वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	12-16
4	गैर वनक्षेत्र विवरण – प्रस्ताव में कुल रकबा – 5.911 हे. राजस्व भूमि प्रभावित हो रहा है।	17-19
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर संलग्न।	20-21
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. रायपुर द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	22-35
7	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव प्रपत्र – 4 में परियोजना की कुल लागत – 4.75 करोड़ है। आवेदक संस्था ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है।	36-44
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – संलग्न।	45

9	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र - प्रकरण में मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। प्रमाण-पत्र संलग्न।	46
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्य/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	47
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा। वन का घनत्व 0.4 से 0.6 है। वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा कर प्रपत्र - 3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	48-60
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण-पत्र - प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है। प्रमाण-पत्र संलग्न।	61
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमोंक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) - संलग्न।	62-113
14	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में.) - गरियाबंद जिले के गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा - 160678.054 हे.	114
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में - व.स.अ.-1980 के तहत गरियाबंद जिला के गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत 14 स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा - 337.456 हे. है।	115-116
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में - व.स.अ.-1980 के तहत गरियाबंद जिला के गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल 3 प्रकरण में प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा - 22.165 हे. है।	117
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय, उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व की चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमोंक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) - प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय, उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व की चिन्ह/मूर्ति नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न।	118
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमोंक/एफ. 11-9/1998-एफ.सी दिनांक 03.08.2009) - व.स.अ.-1980 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) रायपुर का पत्र क्र.भू-प्रबंध/विविध/115-718/724 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार (पत्र की छायाप्रति संलग्न) प्रथम चरण स्वीकृति पश्चात वन अधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न।	119-126
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण-पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमोंक भू-प्रबंध/1317 दिनांक 25.05.2007) - कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न।	127-130
20	पंजीयन क्रमोंक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमोंक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009) - पंजीयन क्रमोंक FP/CG/OFC/155724/2022 है। आवेदक संस्था द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि रुपये - 35000.00 वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान क्रमोंक 18 दिनांक 30/08/2022 से जमा कर दिया गया है।	131-132
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ की अनुशंसा - आवश्यकता नहीं है।	133

संलग्न :- 1. परियोजना प्रतिवेदन 04 प्रति में।
2. आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04 प्रति में।
3. फार्म "ए" पार्ट 01 एवं पार्ट 02।
4. टाईम लाईन।


वनमंडलाधिकारी
गरियाबंद वनमंडल, गरियाबंद

पृ.क्रमांक/ मा.चि./भू-प्र./22-23/ 130

गरियाबन्द, दिनांक 18/01/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -.

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़। पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115 - 939A / 1866 रायपुर, दिनांक 05/08/2022 के संदर्भ में।
2. असिसटेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर(छ.ग.) पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/गरियाबंद/2022, दिनांक 26/12/2022 के संदर्भ में।

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/155724/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	गरियाबंद
(iii)	वन प्रभाग	गरियाबंद
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2.921 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित वनभूमि - 0.590 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि - 1.411 हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र - 0.554 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि - 0.366 हेक्टेयर कुल वन भूमि - 2.921 हेक्टेयर
(vi)	हरियाली का घनत्व	घनत्व 0.4-0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र अंतर्गत
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कॉरीडोर आदि का भाग नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	आवेदक संस्था द्वारा मांग की वन/राजस्व वन/नारंगी वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।

3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवेदित भूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पायी जाती तथा कोई सुरक्षित पुरातत्त्विक/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है तथा आवेदक संस्था द्वारा मांग की गई वनभूमि आवश्यकता परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	गरियाबंद जिले की भौगोलिक स्थिति -5822.861 वर्ग कि.मी. है।
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	गरियाबंद जिले का वन क्षेत्र -2935.801 वर्ग कि.मी. है।
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	स्वीकृत प्रकरण संख्या -14 रकबा 337.456 हेक्टेयर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	624.778 हेक्टेयर निरंक 40.000 हेक्टेयर
	(v) वर्ष 2021-22 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	584.778 हेक्टेयर 40.000 हेक्टेयर

7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।
---	--	---------------------

दिनांक : 12/01/2023

स्थान : गरियाबंद


मणिवासगन एस. (भा. व. से.)
वन मण्डलाधिकारी
वनमंडलाधिकारी
गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद
गरियाबंद वनमंडल, गरियाबंद